न्यायालय राजस्वअपीलप्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपीलसंख्याः 70/23 निर्णय दिनांक 18-12-2024

1. मांगीलाल पुत्र कोजूराम जाति जाट निवासी मंसुरी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. हडमानराम पुत्र गोधूराम जाति जाट निवासी मंसूरी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. हरीकिशन पुत्र भेराराम जाति जडिया निवासी मूंडसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा बीकानेर।
4. स्टेट जरिये तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 29—07—2022

उपस्थितः—

1. श्री प्रहलाद जाखड ,अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल,राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 29—07—2022 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से रोही मौजा भौम बिदासरिया तहसील के नोखा के खसरा नम्बर 131 तादादी 7.40 हैक्टेयर भूमि है जिसमें आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 138 की पश्चिमी सीमा पर धारा 251 ए आरटीए के तहत रास्ता प्रदान किया जावे। जबकि रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि जहां वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां काश्तकार द्वारा नया रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ता स्वीकृत करने की नियत से अपीलांट के खातेदारी खेत में से रास्ता स्वीकृत कर दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, उक्त मौका रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रार्थी अभी वैकल्पिक रास्ते से आवागमन करता है। चूंकि वैकल्पिक रास्ता अधिक दूरी का है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है वो कम दूरी का है, धारा 251 ए आरटीए केवल अत्यातिक आवश्यकता हेतु है जबकि रेस्पोडेन्ट ने इसे सुविधा के तरीके से इस्तेमाल किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अपीलांट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये एवं बिना किसी प्रकार की तामील सुनिश्चित करते हुए अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आगे अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिस पर मियांद लागू नहीं होती है। अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 15–12–2023 को प्राप्त हुई उसके पश्चात प्रतिलिपी प्राप्त कर जानकारी की प्रथम दिनांक से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी बिन्दुओं को गौण रखते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर ही निस्तारित किया जाना चाहिए। चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ॥ में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुरभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील अदंर मियाद घोषित की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 294, डीएनजे 2017 एससी पेज 928, डीएनजे 2017 रेवेन्यु पेज 1, 2017 डीएनजे रेवेन्यु पेज 4, आरआरटी 2002 पार्ट । पेज 648, आरआरटी 2002 पार्ट । पेज 655 व आरआरटी 2004 पार्ट ।। पेज 758 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि जिस पर प्रार्थी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान बनाकर मय पशुधन रहवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही होने की स्थिति में अपीलांट की पश्चिमी सीमा पर रास्ता मांगा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद प्रार्थना पत्र को तय किया जाना आवश्यक है क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–2022 का है जबकि उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 27–12–2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मे जो कारण अंकित किये गये है वो संतोषजनक एवं पर्याप्त नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जिससे यह नहीं कहा जा सकता की प्रकरण की अपीलांट को जानकारी ही प्राप्त नहीं थी। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपने हस्ताक्षर अंकित करता है जबकि दौराने बहस यह कथन किया जाता है अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी हल्का पटवारी के माध्यम से प्राप्त हुई है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थी को अप्रार्थी की खातेदारी में से रास्ता दिया जाना आवश्यक है, प्रार्थी वर्तमान में ग्राम बीदासरिया से होकर खेतों के रास्ते से आता है जो रास्ता मजूंरशुदा नहीं है तथा दूरी 2 किमी से अधिक है, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम दूरी का एवं सुविधाजनक है एवं प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नही है। उक्त रिपोर्ट पर आईएलआर के हस्ताक्षर अंकित है। रिपोर्ट नियमानुसार एवं नियम 69 के प्रावधानों के तहत प्राप्त हुई है। जहां तक अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एवं अपीलांट को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किया गया है। अपीलांट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ना आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया गया जो विधिसम्मत तरीके से पारित किया गया है।

विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण को सर्वप्रथम मियांद के बिन्दु पर तय किया जाना चाहिए उसके पश्चात गुणावगुण पर बढना चाहिए। अपीलांट ने स्पष्ट तौर पर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है एवं अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity&convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आरएलडब्ल्यू 2016 (2) रेवेन्यु पेज 869, आरआरडी 1955 पेज 252, आरबीजे (28) 2021 पेज 227, आरबीजे (26) 2019 पेज 362, पेज 658, पेज 20, आरआरटी 2023 (1) पेज 699, आरबीजे (26) 2019 पेज 147 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में जहां तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 20–12–2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट द्वारा प्रथम जानकारी के दिन से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांट ने स्वयं प्रकरण में उपस्थित होकर आदेशिका में हस्ताक्षर अंकित किये है उसके पश्चात अपीलांट को विधि सम्मत तरीके से नोटिस जारी किये गये थे व उनके उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त रहा है कि जहां पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहां मियाद के बिन्दु अर्थात मियाद में अत्याधिक विलम्ब ना होने की स्थिति में न्यायालय को मियाद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का भी यही मत है कि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

(2) प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित रास्ते की मौका रिपोर्ट मंगवाकर रास्ते की आवश्यकता होने पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार से बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी/अपीलांट की भूमि में से रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त मौका रिपोर्ट में नियम 69 की पालना भी सुनिश्चित की गई है।

(3) अभिभाषक अपीलांट द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 25–02–2022 को अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया था एवं अपीलांट के हस्ताक्षर आदेशिका पर अंकित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये थे जिसकी रशीदें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार प्रकरण एवं नोटिस प्राप्त होने के पश्चात भी अपीलांट के उपस्थित नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मेंलाई गई थी।

(4) प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही रास्ता स्वीकृत किया गया है। मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में जो वैकल्पिक व्यवस्था बताई गई है उक्त वैकल्पिक मार्ग कटानी रास्ता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रदत्त रास्ता धारा 251 ए आरटीए के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 29–07–2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 18-12-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर